तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिनांक 1-5-2017 पक्षकारान/वकील उपस्थित। राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम प... ...शिविर का आयोजन ...न्यायालय के अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अ... ...समस्त विचाराधीन रखा गया है, जिसमे राजस्व ... ...त की भावना के व नवीन राजस्व प्रकरणों प... ...ता अथवा मेरिट सहत पक्षकारों के मध्य रा... ...किया जायेगा। के आधार पर विनिश्चित कि... अतः इस पत्रावली से स... ...न दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर सह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटलसेवा केन्द्र ...खिमाडा... को पेश हो पर आयंदा दिनांक 8/6/2017 उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)
	राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017 राजस्व वाद सं. 49/2014 बाबूलाल वगैरा बनामः शंकरलाल वगैरा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,1955. **दिनांक 08.06.2017** यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। राजस्व लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने राजीनामा प्रपत्र पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा खिमाडा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 88 रकबा 0.54 हेक्टर का वादी व प्रतिवादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाने हेतु राजी है, प्रतिवादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाने हेतु सहमति से तैयार होने के कारण वादी अपना वाद विड्रो करता है। अतः हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करावे। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा-प्रपत्र बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार एवं वादी की दलील पर यह वाद पत्रावली जरिए विड्रो खारिज की जाती है। यह आदेश बरोज आज दिनांक 08.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प-खिमाडा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–4

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– खीमाड़ा

राजीनामा-प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय

दिनांक 8-06-2017

सुमेरपुर

बाबुलाल वगैरा बनाम शंकरलाल

प्रकरण संख्या:– रा. वा. 49/2014 अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री बाबुलाल का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी हैं एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा हैं। हम पक्षकारो के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

कि सरहद मौजा खीमाड़ा में स्थित ख. नं. 88 रकबा 0.54 हे. को वादी एवं प्रतिवादीगण बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु राजी है ~~वादी~~ प्रतिवादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमति से तैयार होने के कारण वादी अपना वाद विड्रो करता है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारक करने की कृपा करें।

वादी पक्ष :
1. बाबुलाल सुथार
2. C.Suthar
3.
4.

प्रतिवादी पक्ष
1.
2. [signature]
3.
4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(वादी पक्ष) नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी / वादी .... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया हैं। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

[Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)]

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner